फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एमएडीसी/शिरडी/सीपी-I/2022-27

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

****

ऐरा कार्यालय,
उड़ान भवन, तृतीय तल,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 26 जून, 2024

<u>सार्वजनिक सूचना संख्या 07/2024-25</u>

विषय: शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, शिरडी (एसएजी) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने संबंधी ऐरा के दिनांक 18.06.2024 के परामर्श पत्र (सीपी) संख्या 02/2024-25 के अंतर्गत अपेक्षा किए अनुसार शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, शिरडी (एसएजी) के लिए महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा एटीपी/टैरिफ कार्ड की प्रस्तुति

शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, शिरडी (एसएजी), के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण संबंधी दिनांक 18.06.2024 के परामर्श पत्र (सीपी) संख्या 02/2024-25 की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. इस संबंध में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) ने परामर्श पत्र के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार दिनांक 25.06.2024 के अपने पत्र संख्या एमएडीसी/शिरडी/357/द्वारा प्रस्तावित एटीपी/टैरिफ कार्ड ऐरा को प्रस्तुत कर दिया है। एटीपी/ टैरिफ कार्ड की प्रति संलग्न है। **सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि एटीपी/टैरिफ कार्ड प्रस्ताव हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत किए अनुसार है। परंतु, प्राधिकरण अपने स्तर पर यथोचित परिश्रम करके और व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाने के बाद टैरिफ दरों को युक्तिसंगत बनाता है और सभी हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को ध्यान में रखकर टैरिफ दर कार्ड को अंतिम रूप देता है। प्राधिकरण द्वारा जारी अंतिम टैरिफ दर कार्ड संभवत: हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत कार्ड से भिन्न हो सकता है।**

3. एटीपी/ टैरिफ कार्ड ऐरा की आधिकारिक वेबसाइट पर “Public Notice (सार्वजनिक सूचना)” के अंतर्गत परामर्श पत्र संख्या 02/2024-25 के साथ देखा जा सकता है।

4. उपर्युक्त जानकारी सभी हितधारकों के लिए है।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)